सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2010–11

प्रस्तावना

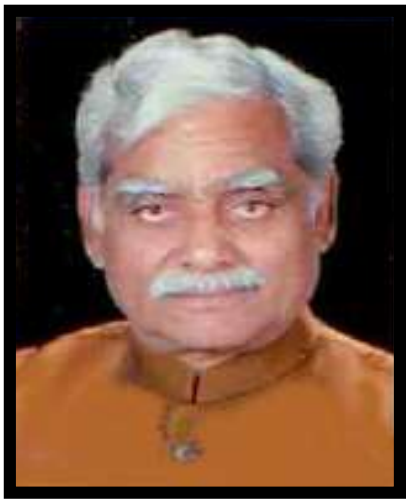

73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गो तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब गाँव के विकास की जवाबदेही पंचायतों के पास है। आमजनों को घर बैठे गाँव में उचित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम कचहरी का भी गठन किया गया है।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप कार्यों एवं दायित्वों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पंचायती राज विभाग के रूप से एक नया विभाग का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत

(प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्ते तथा अनु० जाति/अनु० जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला सदस्य, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय स्वीकृत किया गया है।

वर्ष 2010–11 में इस विभाग द्वारा किए गये महत्वपूर्ण कार्यों को वार्षिक प्रतिवेदन में संकलित करने का प्रयास किया गया है। प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक प्रयास कर अधिक से अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकें।

शुभकामनाओं सहित,

(हरि प्रसाद साह)

मंत्री

पंचायती राज विभाग

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य विवरण	4
2.	बी0 आर0 जी0 एफ0	5
3.	बारहवाँ वित्त आयोग	10
4.	ग्राम कचहरी के सरपंच/पंच/न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण	12
5.	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का सुदृढ़ीकरण	13
6.	विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	14
7.	यू0एन0डी0पी0 प्रोजेक्ट	16
8.	ग्राम सभा वर्ष	18
9.	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम	18
10.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	19
11.	शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण	20
12.	नये कानून	20
13.	पंचायत राज टास्क फोर्स	21
14.	नयी नियुक्तियाँ	21
15.	प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ	22
16.	जिला परिषद् को अनुदान	24
17.	पंचायत उप–चुनाव, 2009 एवं 2010	25
18.	सूचना का अधिकार	25
19.	जन–शिकायत से संबंधित आवेदन	27
20.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का वेतन का भुगतान	27
21.	बजट एवं लेखा का संधारण	28
22.	डाटावेस का निर्माण	29
23.	म्च्प्े प्रोजेक्ट	29

पंचायती राज विभाग, बिहार
वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ससमय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन के फलस्वरूप वर्त्तमान में 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियाँ, 8463 ग्राम पंचायतें एवं 8463 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में योजना मुख्य शीर्ष–2515, 4515 एवं गैर योजना मुख्य शीर्ष–2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वर्ष 2010–11 में गैर योजना मद में मुख्य शीर्ष–2515 के अन्तर्गत (अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित) 70236.85 लाख रुपये (सात अरब दो करोड़ छत्तीस लाख पचासी हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत (अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित) 5558.88 लाख रुपये (पचपन करोड़ अनठावन लाख अठासी हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 3451 के अन्तर्गत (अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित) 122.06 लाख रुपये (एक करोड़ बाईस लाख छः हजार रूपये) का उपबंध है।

योजना मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 88614.00 लाख रुपये (आठ अरब छियासी करोड़ चौदह लाख रूपये) का योजना उद्व्यय एवं इतनी ही राशि का वजट उपबंध है। (विवरणी परिशिष्ट – 2 एवं 3)।

2. बी० आर० जी० एफ०

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बी० आर० जी० एफ०) का मूल उद्वेश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत

सीवान जिला को छोड़कर राज्य के 36 जिले (जहानाबाद एवं अरवल संयुक्त रूप से) शामिल हैं।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के दो घटक हैं : (i) विकास/अनावद्ध निधि (ii) क्षमता निर्माण निधि।

(प) <u>अनावद्ध निधि</u> :–

अनावद्ध निधि का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इसके अंतर्गत जिलो में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा सहभागिता पूर्ण तरीके से तैयार की गई योजनाओं को समन्वित कर प्रत्येक जिला के लिए जिला योजना तैयार की जानी है। इस जिला योजना पर संबंधित जिला योजना समिति एवं राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार से प्राप्त विकास अनुदान को जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

विकास अनुदान का वितरण प्रत्येक जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2007–08 में जिले की पंचायत घटक की राशि का वितरण त्रिस्तरीय पंचायतों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 92: 6: 2 के अनुपात में किया गया था। परन्तु जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के सदस्यों की मांगों तथा बी० आर० जी० एफ० निधि के युक्तिसंगत ढंग से बँटवारे के प्रश्न को दृष्टि पथ में रखते हुए

वर्ष 2008–09 से प्रत्येक जिले की पंचायत घटक की राशि में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के बीच क्रमशः 70ः 20ः 10 के अनुपात में वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के अंतर्गत अनाबद्ध अनुदान हेतु वर्ष 2009–10 की द्वितीय किस्त की शेष राषि **10592.00 लाख (एक अरब पाँच करोड़ बानबे लाख),** वर्ष 2010–11 की प्रथम किस्त की राषि **29203.00 लाख (दो अरब बानबे करोड़ तीन लाख रू०)** एवं ईन्टीग्रेटेड एक्षन प्लान के अन्तर्गत **17500.00 लाख रूपये (एक अरब पचहत्तर करोड़ रूपये)** अर्थात् कुल **57295.00 लाख रूपये (पाँच अरब बहत्तर करोड़ पनचानबे लाख रूपये)** वर्ष 2010–11 में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार प्राप्त हुए है, जिसे सभी संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। ईन्टीग्रेटेड एक्षन प्लान के तहत राज्य के सात जिले (अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, जहानाबाद और रोहतास) को **25.00 करोड रू० (पच्चीस करोड़ रूपये)** प्रति जिला के दर से उपलब्ध कराये गये है। द्वितीय किस्त की शेष राषि **31096.00 लाख (तीन अरब दस करोड़ छियानबे लाख रू०)** भारत सरकार से प्राप्त होना संभावित है। वर्ष 2011–12 का वार्षिक जिला योजना जिलों से प्राप्त हो रहा है, जिसे शीध्र ही मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति से अनुमोदनोपरान्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम **के**

तर्ज पर सीवान जिले को भी जिला योजना के आधार पर **15.00 (पन्द्रह) करोड़ रू०** का विकास अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई जिला योजनाओं के अंतर्गत आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं समाज कल्याण से संबंधित सभी प्रक्षेत्रों की योजनाएँ शामिल है। सरकार द्वारा की गई पहल से क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगें एवं पिछड़े जिलों के गरीबी निवारण में मदद मिलेगी। वर्ष 2011–12 में अनाबद्ध अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए 79299.00 लाख रुपये (सात अरब बानबे करोड़ निन्यानबे लाख रूपये) का उद्व्यय कर्णांकित है।

(पप) <u>क्षमतावर्द्धन (Capacity Building)</u>

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम अन्तर्गत क्षमता वर्द्धन घटक के तहत जिला स्तरीय रिसोर्स परसन का 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य जिलों में सम्पन्न हो गया है। जिला रिसोर्स परसन के प्रशिक्षण हेतु कुल 7,63,02,440.00 रू० (सात करोड़ तिरेसठ लाख दो हजार चार सौ चालीस रूपये) का आवंटन सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

मार्च, 2010 के तृतीय सप्ताह से ये जिला रिसोर्स परसन तीनों स्तर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण

देंगे। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर होगा और इस प्रशिक्षण पर 1844.00 लाख रू० (अठारह करोड़ चौवालीस लाख रूपये) का व्यय अनुमानित है। प्रशिक्षण हेतु राशि सभी जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल मुद्रित कराया जा रहा है।

सीवान जिला, जिसे भारत सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, पहली बार पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु जिला स्तरीय रिसोर्स परसन का 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराया गया है। इस हेतु 28.25 लाख रू० उपलब्ध कराये गये है। जिला रिसोर्स परसन तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत राज संस्थाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, जो प्रखण्ड स्तर पर होगा। इस प्रशिक्षण पर 63.75 लाख रू० सीवान जिला को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीवान जिला के प्रखण्डों में आई०टी० सेल के निर्माण हेतु 50,000.00 रू० की दर से कुल 8.00 लाख रू० उपलब्ध कराये जा रहे है।

<u>हेल्पलाईन</u> :–

बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम के क्षमतावर्द्धन धटक अन्तर्गत सूचना का त्वरित चैनल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर 'हेल्पलाईन' की स्थापना की जा रही है। इसके स्थापना से जनमानस को पंचायती राज के संबंध में शीध्र सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण पद्वति :–

बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर सैटेलाईट आधारित प्रशिक्षण पद्वति की स्थापना की जा रही है।

योजना का मूल उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को पंचायत समिति स्तर पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण (श्रव्य–दृश्य माध्यम से) दिया जाना है।

प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला :–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास अनुदान घटक के तहत वार्षिक जिला योजना की तैयारी प्लानप्लस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। जिला योजना सूचना तथा स्वीकृति की प्रक्रियाओं को आई0टी0 के माध्यम से सरल तथा सुदृढ़ करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्लानप्लस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों द्वारा योजना बनाने एवं जिला योजना समिति के स्तर पर योजनाओं के समेकन तथा स्वीकृति की प्रक्रियाओं को

कम्प्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन कराने की व्यवस्था है। राज्य में प्लानप्लस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला योजना से संबंधित आँकड़ों को ऑन लाईन करना प्रारंभ कर दिया गया है।

वर्ष 2010–11 में क्षमतावृद्धि हेतु 3600.00 लाख रुपये (छतीस करोड़ रूपये) का उद्व्यय कर्णांकित है।

3. <u>तेरहवाँ वित्त आयोग</u>

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से पंचायत राज संस्थाओं के लिए 2010–11 से 2014–15 तक तीन तरह की राशि प्राप्त होगी। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के आलोक में राज्य गैर–योजना बजट में उपबन्ध कराकर राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(क) Basic Grants – यह राशि वर्ष 2010–11 से प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किस्त की अनुदान राशि 230.63 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसे राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को विभागीय पत्रांक 6900 दिनांक 17.08.2010 (जिलावार विवरणी परिशिष्ट–4 पर) द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस राशि का उपयोग आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु किया जाना है। द्वितीय किस्त की अनुदान राशि की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(ख) Performance Grants – यह राशि वर्ष 2011–12 से प्राप्त होगी। इस राशि को प्राप्त करने हेतु राज्य कों छः शर्तो को पालन किया जाना है। शर्त्तो एवं इसके अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है। इन शर्त्तो का अनुपालन दिनांक 31.03.2011 तक किया जाना है।

(ग) Special Grants – भारत सरकार से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु 2011–12 से 2014–15 के बीच 1000.00 करोड़ रू० प्राप्त होंगे।

4. ग्राम कचहरी के सरपंच/पंच/न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण :–

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरी के गठन का मुख्य उद्देश्य आमजनों को घर बैठे उचित न्याय दिलवाना है। इसमें ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच, न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव की अहम भूमिका है। ग्राम कचहरी के सरपंचों, पंचों, न्याय मित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में उल्लिखित सुसंगत धाराओं एवं ग्राम कचहरी द्वारा संचालित किये जानेवाले वादों एवं उसकी प्रक्रिया आदि की जानकारी रहना आवश्यक है। इन्हें अपने कर्त्तव्य निर्वहन में सहूलियत हो, इस हेतु उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

वर्ष 2009–10 में ग्राम कचहरियों के सरपंचों/पंचों/न्यायमित्र/ग्राम कचहरी सचिव के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस हेतु 99.80 लाख रुपये (निन्यानबे लाख अस्सी हजार रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी का सुदृढ़ीकरण

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में ''ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियाँ, कर्त्तव्य और प्रक्रिया'' से संबंधित प्रावधानित धारा–92–122 (अध्याय–(अप)) में ग्राम कचहरी से संबंधित दाण्डिक एवं सिविल अधिकारिता संबंधी मामले का विचारण ग्राम कचहरी न्यायपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा–106 एवं 107 के तहत दाण्डिक अधिकारिता दी गई है तथा धारा–110 के तहत सिविल मामलों की अधिकारिता दी गई है। ग्राम कचहरी 10 हजार से कम सम्पत्ति वाले सिविल मुकदमें की सुनवाई कर सकता है, जो संविदा, चल सम्पत्ति, लगान की वसूली, चल सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, पशु अतिचार, बाँट–बंटवारा के सभी मामले सिवाय उन वादों के, जहाँ विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल अन्तर्ग्रस्त हो।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी में आधारभूत सुविधा का अभाव है। वर्ष 2009–10 में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के लिए उपस्कर हेतु 846.30 लाख रुपये (आठ करोड़ छियालीस लाख तीस हजार रूपये) स्वीकृत किये गये हैं।

पहली बार वैसे ग्राम कचहरियों, जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें अधिकतम 500.00 रु० (पाँच सौ रु०) प्रति ग्राम कचहरी प्रतिमाह किराया पर भवन हेतु राशि आवंटित की गई है।

वर्ष 2010–11 में भी ग्राम कचहरियों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

6. <u>विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण</u>

विश्व बैंक द्वारा पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ीकरण हेतु 'बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी' प्रक्रियारत है, जो पाँच वर्षो की अवधि में 120 मिलियन डालर (लगभग 600 करोड़ रूपये) ऋण से विविध कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा।

विष्व बैंक के सहायोग से बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना हेतु कई आधारभूत एवं नीतिगत 11 (ग्यारह) अध्ययनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन का निर्माण, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों हेतु पर्यावरण प्रबंधन फ्रेमवर्क, मानव संसाधन प्रबंधन और क्षमतावर्द्धन के विकल्प, ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रभावित करनेवाली नीतियों और प्रषासनिक पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन करवाये गये है। इस परियोजना हेतु 6 जिलों पटना, भोजपुर, नालंदा, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा का चयन किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ''बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी'' का गठन 26 मई, 2010 को किया गया है।

7. यू० एन० डी० पी० प्रोजेक्ट – स्थानीय स्वशासन के लिए क्षमता निर्माण

न्छक्च द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से Capacity Development for Local Governance के उद्देश्य से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को क्षमतावृद्धि हेतु 2008–12 की अवधि में प्रति वर्ष अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया

है। इसी क्रम में यूनाईटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिए 28.00 लाख रुपये (अटठाईस लाख रूपये) की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 10.00 लाख रुपये (दस लाख रूपये) बिपार्ड में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया है।

प्रथम चरण में 18.00 लाख रुपये (अठारह लाख रूपये) निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि (पंचायत समिति के प्रमुखों) को समीपवर्त्ती राज्यों यथा – पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु 5 दिवसीय अन्तर्राज्य भ्रमण के लिए कर्णांकित की गई है। इस हेतु 38 जिलों से 322 प्रमुखों को अन्तर्राज्य भ्रमण के लिए नामित किया गया है। 9 जिले के पंचायत समिति प्रमुखों द्वारा हिब्रेबाजार (महाराष्ट्र) का भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया है। यह ग्राम पंचायत मॉडल पंचायत के रूप में विकसित है।

वर्ष 2009–10 में UNDP-CDLG परियोजना में मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियॉ प्रस्तावित की गयी है :–

(1) चार कार्यशालायें हेतु प्रावधानित बजट राशि – 4.50 लाख

(2) दो अध्ययनरत हेतु प्रावधानित बजट राशि – 7.00 लाख

इसके अतिरिक्त प्रमंडल स्तरीय कार्यशालाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए 3.11 लाख का प्रावधान किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज विभाग/संस्थाओं की क्षमता वर्द्धन हेतु विभिन्न गतिविधियों में तकनीकि सहयोग तथा क्षमता वर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला/प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना आदि है, जिससे विभाग/संस्थाओं के कार्यक्षमता में गुणवता बनायी जा सके।

8. ग्राम सभा वर्ष

वर्ष 2009–10 को पंचायती राज के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'ग्राम सभा का वर्ष' धोषित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की पहली तारीख को ग्राम सभा का आयोजन कराया जा रहा है। ग्राम सभा के प्रति सभी जनमानस को जागृत करने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

9. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम एक केन्द्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों को राजनैतिक जागरूकता में

वृद्धि कर महिला पंचायत नेताओं के रूप में अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने एवं अपनी सशक्तिकरण हेतु एसोशिएशन का गठन करना है।

एसोशिएशन के माध्यम से निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को जिस समय आवश्यक हो, ज्ञान समर्थन, सूचना, निःशुल्क कानूनी सहायता, लेखा एवं रिकार्ड रखने में सहायता, योजना निर्माण एवं योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं क्षमता का विकास करना प्रमुख कार्य होगा। उक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों के एसोशिएशन (संगठन) का गठन कर लिया गया है, जिसका नाम ''शक्तिरूपा'' है। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 15 पदधारक है। इन्हें तकनीकी ज्ञान सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन केन्द्र की स्थापना की गयी है। राज्य समर्थन केन्द्र के संचालन हेतु चार कर्मियों की संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय सम्मेलन हेतु 15 चयनित जिलो के लिए 17.65 लाख रुपया संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

10. <u>त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता</u>

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनु0जाति/अनु0 जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010–11 में 4000.00 लाख रुपये (चालीस करोड़) स्वीकृत की जा रही हैं।

11. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमानचित्रण

भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शक्ति प्रतिनिधायन कर पंचायत स्तर पर कार्य मानचित्रण वर्ष 2001 में किया गया। विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर प्रतिनिधायन अद्यतन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

12. नए कानून

राज्य के पंचायतों के कर्मचारियों, निर्वाचित सदस्यों एवं अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कु–प्रषासन की षिकायतों की जाँच हेतु लोकपाल की व्यवस्था की कार्रवाई की जा रही है।

13. पंचायत राज टास्क फोर्स (Task Force on Panchayat Raj)

पंचायत राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की सक्षम इकाई बनाने हेतु रचनात्मक सुझाव एवं आवश्यक अनुशंसा देने के लिए डा0 जार्ज मथ्यू, अध्यक्ष, Institute of Social Science, नई दिल्ली की अध्यक्षता में ''पंचायत राज टास्क फोर्स (Task Force on Panchayat Raj)'' का गठन किया गया है।

टास्क फोर्स द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अंतरिम प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है। टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न जिलों के भ्रमण के दरम्यान पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं

पदाधिकारियों/कर्मियों से विचार–विमर्श कर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को गति प्रदान करने हेतु अंतरिम प्रतिवेदन में तथ्यों का समावेश किया गया है।

14. नई नियुक्तियाँ

(क) एक लंबी अवधि के बाद गठित ग्राम कचहरी के संरचना सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर नियोजन किया गया है। जिलों से प्राप्त सुचनानुसार ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के 8463 पदों के विरूद्ध क्रमशः 6744 (छः हजार सात सौ चौवालीस) एवं 7333 (सात हजार तीन सौ तैतीस) पदों पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

(ख) स्नातक एवं गैर–स्नातक पंचायत सचिवों की राज्यस्तरीय वरीयता सूची से कुल 17 (सतरह) पंचायत सचिवों को प्रोन्नति देकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की गयी है।

15. (क) प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ

(1) सरकार द्वारा विभिन्न अवमाननावादों में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेशों के अनुपालन में विभागीय स्वीकृत्यादेश संखया 2610 दिनांक 20.08. 98 में सृजित पंचायत सचिव के 531 अतिरिक्त पदो ंके विरूद्ध नियुक्ति हेतु 344 योग्य दलपतियों का चयन किया गया है।

उत्तरवर्ती बिहार में पहली बार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं इसके तहत गठित नियमावली तथा पंचायत सचिवालय की वर्त्तमान अवधारणाओं की अपेक्षाओं के आलोक में नया पाठ्यक्रम तैयार कर चयनित पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

शेष पंचायतों में पंचायत सचिव की नियुक्ति नयी नियमावली के आधार पर की जायेगी।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक–सह–रोकड़पाल की संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है।

(ख) <u>पद सृजन</u>

(1) वर्ष 2007 में पंचायती राज विभाग के रूप में नये विभाग के गठन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार के लिए कुल 30 (तीस) राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों का पद सृजन किया गया है।

(2) बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 32 में प्रत्येक पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव का प्रवाधान किया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा– II के अनुसार पंचायतों का पुर्नगठन किया गया। पंचायतों के

पुर्नगठन के फलस्वरूप बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8463 हो गई थी। 21 पंचायतों के नगर पंचायत बन जाने से ग्राम पंचायतों की संख्या 8442 हो गयी है।

वर्त्तमान कार्यरत पंचायतों के विरूद्ध कुल 8463 पंचायत सचिव का पद उपलब्ध है।

16. जिला परिषद् को अनुदान

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010–11 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 1236.47 लाख रूपये (बारह करोड़ छत्तीस लाख सैतालीस हजार रूपये) स्वीकृत किया जा रहा है।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2010–11 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को

वेतनादि के भुगतान हेतु कुल 586.43 लाख रूपये (पाँच करोड़ छियासी लाख तैतालीस हजार रूपये) की स्वीकृति दी गयी है।

17. पंचायत आम चुनाव, 2011

पंचायत आम चुनाव, 2011 दस चरणों में दिनांक 20.04.2011 से 18.05.2011 के मध्य सम्पन्न होना प्रस्तावित है। आसन्न पंचायत आम चुनाव, 2011 मतपत्रों के माध्यम से कराये जायेंगे। मतपत्रों के मुद्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्राधिकृत किया गया है तथा इस हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

18. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार–सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित किया गया है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय (मुख्यालय) एवं राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) विभागीय मुख्यालय स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – विशेष कार्य पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – निदेशक, पंचायत राज, बिहार, पटना

(2) जिला परिषद स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद

(3) पंचायत समिति स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) ग्राम पंचायत स्तर पर :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

19. जन शिकायत से संबंधित आवेदन

वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के माध्यम से 812 एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना के कोषांग से 136 यानि कुल 948 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कुल 201 आवेदनों का निष्पादन हुआ है, शेष आवेदन, जिन पर

जिला स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, संबंधित जिलों को भेज कर उनके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

21. बजट एवं लेखा का संधारण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिये बजट एवं लेखा संधारण के संबंध में प्रपत्र प्राप्त हुए है। इस प्रपत्र के आधार पर बजट एवं लेखा नियमावली का गठन किया जा रहा है। इस प्रपत्र को पंचायत राज संस्थाओं द्वारा दिनांक 01.04.2010 से लागू करने की कार्रवाई प्रकियाधीन है। विहित प्रपत्र में लेखा संधारण हो, इसके लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के साथ दिनांक 28.01.2010 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं में होने वाले लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन के सभी प्रशिक्षण संबंधी कार्यो एवं विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु एक सेवानिवृत उप महालेखाकार की सेवा ली जाय। इसके अलावे वित्त अथवा प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त एक पदाधिकारी की भी सेवा लेने का निर्णय बैठक में लिया गया है। प्रशिक्षण सामग्री के लिये

एक बेसिक कोर्स मॉड्यूल का गठन प्रधान महालेखाकार के द्वारा कराकर भेजने पर सहमति दी गई है।

22. डाटावेस का निर्माण

एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त राशि में से पंचायतों के डाटा बेस निर्माण का कार्य हेतु कर्णांकित राशि 5,72,00,000.00 रुपये (पाँच करोड़ बहत्तर लाख रुपये) से पंचायती राज विभाग, 38 जिला परिषदों एवं लगभग 452 पंचायत समितियों एवं इसके ग्राम पचायतों में डाटा बेस निर्माण का कार्य कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेभलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेलट्रान), पटना को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

23. E-PRIs प्रोजेक्ट

E-PRIs प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बिजिनेश प्रोसेस रिइंजीनियरिंग का अध्ययन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। डी०पी०आर० निक्सी के माध्यम से के०पी०एम०जी० द्वारा समर्पित किया जायेगा, तदनुसार E-PRIs के प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जायेगा।

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	531
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8463
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8463
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	115876
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8463
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11566
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1162
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	115876
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8463
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल संख्या	8463
12	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	8463
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	8463
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	516

परिशिष्ट – 2
माँग संख्या – 16
योजना

क्र०	योजना का नाम	2009–10 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)	2010–11 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
1.	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि/न्यायमित्र/ग्राम कचहरी सचिव का प्रशिक्षण	259.48	0
2.	पंचायत राज संस्थाओं को अपनी उपलब्धियों एवं कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार	18.80	0
3.	ग्राम कचहरियों का सुदृढ़ीकरण	423.15	423.00
4.	ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	423.15	0
5.	टास्क फोर्स का गठन	24.50	4.00
6.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – अनावद्व निधि	60299.00	64069.00
7.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (सीवान जिला के लिए) (राज्य निधि से वित्तीय सहायता)	1600.00	1600.00
8.	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के निर्वात प्रतिनिधियों को भत्ता	9301.65	0
9.	वाह्य सम्पोषित परियोजना (विश्व बैंक सहायता)	750.00	1047.00
10.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – क्षमता वर्द्धन	2816.00	3600.00
11.	ग्राम कचहरी भवन के लिए किराया	215.27	273.00
12.	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	0	17700.00
कुल :–		**76131.00**	**88716.00**

परिशिष्ट – 3

गैर योजना

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2009–10 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)	2010–11 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	20910.10	23488.53
2.	बारहवाँ वित्त आयोग	32480.00	34000.00
3.	ग्रामीण सड़कें / भवनों का अनुरक्षण	200.00	100.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन			
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	136.25	121.97
5.	ई0 भी0 एम0 का क्रय / निर्वाचन	575.98	10000.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
6.	स्थापना	41.62	42.40
कुल :–		**54343.95**	**57852.90**

वर्ष 2010–11 का कुल योग (योजना + गैर योजना) = 88716.00 + 57852.90 = 146568.90 लाख रुपये

परिशिष्ट 4
तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंडों की संख्या	पंचायतों की संख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या	ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत राशि	पंचायत समितियों के लिए स्वीकृत राशि	जिला परिषदों के लिए स्वीकृत राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	11	142	1273422	35601445	2371117	790372	38762934
2.	रोहतास	19	246	2123942	61675743	3954788	1318263	66948794
3.	भोजपुर	14	228	1930730	57162884	3595027	1198342	61956253
4.	नालन्दा	20	249	2016899	62427887	3755474	1251825	67435186
5.	पटना	23	331	2757060	82986468	5133656	1711219	89831343
6.	कैमूर	11	151	1247299	37857875	2322476	774159	40954510
7.	गया	24	332	2997479	83237182	5581318	1860439	90678939
8.	नवादा	14	187	1671253	46883594	3111880	1037293	51032767
9.	औरंगाबाद	11	203	1842998	50895024	3431669	1143890	55470583
10.	जहानाबाद	7	93	813227	23316440	1514232	504744	25335416
11.	अरवल	5	68	589476	17048579	1097607	365869	18512055
12.	सारण	20	330	2950064	82735753	5493031	1831010	90059794
13.	सिवान	16	293	2564860	73459320	4775779	1591926	79827025
14.	गोपालगंज	14	234	2022048	58667171	3765061	1255020	63687252
15.	मुजफ्फरपुर	16	387	3398361	97026474	6327761	2109254	105463489
16.	वैशाली	16	290	2531766	72707177	4714158	1571386	78992721
17.	पू० चम्पारण	27	410	3688687	102792906	6868349	2289450	111950705
18.	प० चम्पारण	18	315	2733907	78975037	5090545	1696848	85762430
19.	सीतामढ़ी	17	273	2529407	68445032	4709766	1569922	74724720
20.	शिवहर	5	53	494699	13287863	921131	307044	14516038
21.	भागलपुर	16	242	1970745	60672886	3669535	1223178	65565599
22.	बांका	11	185	1552353	46382165	2890487	963496	50236148

23.	मधुबनी	21	399	3450736	100035047	6425284	2141761	108602092
24.	समस्तीपुर	20	381	3271338	95522188	6091244	2030415	103643847
25.	दरभंगा	18	330	3028441	82735753	5638969	1879656	90254378
26.	सहरसा	10	153	1383015	38359304	2575179	858393	41792876
27.	मधेपुरा	13	170	1458679	42621449	2716066	905355	46242870
28.	सुपौल	11	181	1644370	45379307	3061823	1020608	49461738
29.	पूर्णिया	14	251	2321544	62929315	4322724	1440908	68692947
30.	अररिया	9	218	2026257	54655740	3772898	1257633	59686271
31.	किशनगंज	7	126	1167340	31590015	2173592	724531	34488138
32.	कटिहार	16	238	2174361	59670028	4048669	1349556	65068253
33.	मुंगेर	9	101	819950	25322155	1526750	508917	27357822
34.	जमुई	10	153	1295552	38359304	2412323	804108	41575735
35.	बेगुसराय	18	257	2241743	64433602	4174134	1391378	69999114
36.	खगड़िया	7	129	1204027	32342158	2241903	747301	35331362
37.	लखीसराय	7	80	684485	20057152	1274514	424838	21756504
38.	शेखपुरा	6	54	444189	13538578	827081	275693	14641352
कुल		**531**	**8463**	**74316709**	**2121796000**	**138378000**	**46126000**	**2306300000**
				(दो अरब तीस करोड़ तिरसठ लाख रुपये मात्र)				